न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या
212/ 13

दायर दिनांक
30.09.2013

निर्णय दिनांक
14/5/19

अनुवान

1. यशपाल पुत्र तेजराम
2. रीना
3. लोकेश
4. नवीन पुत्र तेजराम
5. अजय पुत्र तेजराम कौम चमार नाबालिगान जर्ये नैक्स्टफ्रैण्ड सरपरस्त माता खुद कमलेश देवी पत्नि तेजराम जाति चमार निवासी गुणसार तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0।

:–प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत
2. श्यामलाल पुत्रान प्यारेलाल जाति बाल्मिकी निवासी बालियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) ।
3. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राज0) ।

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.ऐ.
आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठीत धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–

1. श्री नरहरि व्यास अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री विकास यादव अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या–1 एवं 2

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया। विवादित आराजी खसरा संख्या 48 रकबा 1–16 बिस्वा, 49 रकबा 2–19 बिस्वा, 47 रकबा 03 बीघा, 50 रकबा 1–10 बीघा में से 1 बीघा वाके ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वादीगण के दादा बेगराज पुत्र मंगलराम जाति चमार निवासी गुणसार के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही। वादीगण मृतक बेगराज के पोत्र वो पोत्रिया है जिससे वादीगण का बाई बर्थ जन्म से हक हकूक निहित है। आराजी मुतदाविया पैतृक (दादालाई) की आराजी है। वक्त फौतगी दादा वादगण मृतक बेगराज का नामान्तकरण संख्या 181 तन्हा पिता वादीगण तेजराम ने राजस्व कर्मचारियों वो अधिकारियों से मिलकर 25.05.1992 को अपने नाम दर्ज कराया ओर कतेई विधि विरूद्ध तरीके से कैम्प 27.05.1992 को अपने नाम स्वीकार करा लिया जबकि आराजी मुतदाविया में वादीगण के अधिकार निहित थे। वादीगण 1 लगायत 5 का 5/6 हिस्सा एवं 1/6 हिस्सा मृतक तेजराम का आराजी मुतदाविया में रहा है। वादीगण आराजी मुतदाविया के 5/6 हिस्से के कब्जे काश्त खातेदार है आराजी मुतदाविया वादीगण के कब्जे काश्त है एवं वादीगण अपने हिस्से पर काबिज वो दखिल है वादीगण का राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दियात में 5/6 हिस्से का काबिज काश्त खातेदारी का अमल होना महज गलत नामान्तकरण के कारण रह गया, जबकि वादीगण बाई बर्थ 5/6 हिस्से के काबिज काश्त खातेदार है लिहाजा वादीगण को आराजी मुतदाविया के 5/6 हिस्से का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जावे। तथा इसी कदर बाद घोषणा वादीगण को इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण को 5/6 हिस्से का राजस्व रिकोर्ड में खातेदार दर्ज किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

हम वादीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के पिता मृतक तेजराम को दीगर लोगों को शामिल करते हुये षडयंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से वादीगण की आराजी को हड़पने की नियत से खिलाफ बनाकर बिना किसी प्रतिफल के बिना कब्जा एवं तेजराम को 1/6 हिस्से का अधिकार नही होते हुये भी फोर्जी तौर पर बिना किसी अधिकार के जालसाजी कर तथाकथित बैयनामाजात पुस्त संख्या 1 जिल्द संख्या 248 में पृष्ठ संख्या 53 क्रम संख्या 2013002624, एवं पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 248 में पृष्ठ संख्या 52 क्रम संख्या 2013002623 आराजी मुतदाविया के फर्जी तैयार कर पंजिबद्ध कराकर तेजराम को मार दिया जो कृत्य घटना तीन दिवस के अन्दर अन्दर घटित हुई है ऐसी सूरत में उक्त तथाकथित बैयनामाजात पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 248 में पृष्ठ संख्या 53 क्रम संख्या 201300262 , पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 248 में पृष्ठ संख्या 52 क्रम संख्या 2013002623 वादीगण के विरुद्ध बातिल वो बेअसर है एवं नाकाबिल पाबन्दी है लिहाजा कराकर दिया जावे कि जो बैयनामाजात आराजी मुतदाविया से प्रतिवादीगण ने तैयार वो पंजिबद्ध दिनांक 17.09.2013 को कराये है वो वादीगण के हक हकूकों की हद तक बातिल वो बेअसर है एवं नाकाबिल पाबन्दी है। मुतदाविया आराजी की बाबत वादीगण अपने हक हकूको की हद तक यानि कि 5/6 हिस्से का अंकन अपने नाम का राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दियात कराने के अधिकारी है। सम्वत् 2050 से ता हाल तक की जमाबन्दियात कराने के अधिकारी है। सम्वत् 2050 से ता हाल तक की जमाबन्दी में जो तन्हा अंकन तेजराम का आया है उसे कलमजन कर हफज किया जाकर उसके स्थान पर 5/6 हिस्से का वादीगण के नाम का खातेदारी अंकन किया जावे। हम वादीगण का आराजी मुतदाविया में 5/6 हिस्से है हम वादीगण आराजी मुतदावायि के 5/6 हिस्से पर काबिज वो दखिल है एवं वादीगण के अधिकार कानूनन रक्षित है वादीगण ने प्रतिवादीगण द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 276/13 थाना कोटकासिम में दर्ज कराई हुई है इसके बावजूद प्रतिवादीगण ने हम वादीगण को दिनांक 23.09.2013 ऐलानिया तौर पर धमकी दी है कि बिला जेर बदल, बिला प्रतिफल के वो बिला कब्जा जो तथाकथित फोर्ज बैयनामाजात कराये है उसके आधार पर नामान्तकरण दर्ज वो मंजूर करायेगें एवं राजस्व रिकोर्डमें खातेदारी का अंकन करावेगे एवं आराजी मुतदाविया से वादीगण को बेदखल कर कब्जा करेगें तथा दीगर जगह मुन्तकिल करेगें। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजहद हानि होगी कि जिसकी कीमत रूपयों में आका जाना सम्भव नही है। लिहाजा प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा संख्या 48 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 49 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 47 रकबा 03 बीघा, 50 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से 1 बीघा वाके ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का नामान्तकरण प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज वो मंजूर नही करावे, ना नामान्तकरण प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज वो मंजूर नही करावे, ना नामान्तकरण दर्ज वो मंजूर किया जावे, तथा प्रतिवादीगण वादीगण को उनके 5/6 हिस्से की आराजी से कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा नही करे, ना आराजी मुतदाविया को वादगण को जोतने बोने वो फसल काटने वो समेटने में किसी प्रकार से बाधा पैदा करे, ना आराजी मुतदाविया को दीगर जगह रहन, बैय, हिबा, लीज इत्यादि से मुन्तिकिल करे।

विवादित आराजी वादीगन की दादालाई आराजी है जिसमें हम वादीगन के हक हकूक बाई बर्थ निहित है अतः सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति बहक प्रार्थीगन/वादीगन है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगन/प्रति0 को ता फैसला दावा जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा पाबन्द किया जावे कि वो आराजी हाल खसरा संख्या 48 रकबा 1–16 बिस्वा, 49 रकबा 2–19 बिस्वा, 47 रकबा 03 बीघा, 50 रकबा 1–10 बीघा में से 1 बीघा वाके ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम जिला अलवर का नामान्तकरण प्रतिवादीगण अपने नाम दर्ज वो मंजूर नही करावे, ना नामान्तकरण दर्ज वो मंजूर किया जावे, तथा प्रतिवादीगण वादीगण को उनके 5/6 हिस्से की आराजी से कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदालखत पैदा नही करे, ना आराजी मुतदाविया को वादीगण को जोतने बोने वो फसल काटने वो समेटने में किसी प्रकार से बाधा पैदा करे, ना आराजी मुतदाविया को दीगर जगह रहन, बैय, हिबा, लीज इत्यादि से मुन्तकिल करे। मौका एवं रिकोर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त उनवानी वाद अदालत श्रीमान में पेश किया हुआ है। जिसमें कामयाबी की कतई उमीद नही है। प्रार्थीगण का केस किसी भी सूरत में प्राइमाफेसाई आयद व साबित नही होती है। विवादित आराजियात वाके ग्राम कैरवा स्थित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व हिन्दू विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात विरासत इंतकाल प्रथम श्रेणी के वारिसान के पक्ष में दर्ज व स्वीकार होना चाहिये इसलिये मृतक बेगराज का विरासत इंतकाल विधि अनुरूप तेजराम के

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

नाम दर्ज व स्वीकार किया गया जिसमें कही भी कानून कायदो की अनदेखी नही की गई थी। प्रार्थीगण विवादित आराजी के किसी भी जुज पर काबिज काश्त नही है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है व अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने युक्तियुक्त प्रतिफल अदा कर मय कब्जा आराजी का रजिस्टर्ड बैयनामा अपने पक्ष में तहरीर व तस्दीक कराया है व उक्त बैयनामा दिनांक 16.09.2013 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अप्रार्थीगण को मौके पर कब्जा संभलवा दिया गया है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण किस प्रकार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है स्पष्ट नही है व प्रार्थीगण शुद्धहस्त होकर नही आये है व नामान्तकरण विधि अनुरूप दर्ज स्वीकार किया गया है जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण किसी भी प्रकार का फेरबदल कराने के अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण/प्रति0 सं0 1 व 2 ने युक्तियुक्त तेजराम की इच्छानुसार प्रतिफल अदाकर विवादित का बैयनामा अपने पक्ष में तहरीर व तस्दीक दिनांक 17.09.2013 को कराया है जिसमें किसी भी प्रकार की जालसाजी षडयंत्र या छल-कपट का इस्तेमाल नही किया गया है समस्त कार्यवाही विधिअनुरूप की गई है जिसका प्रार्थीगण को बखूबी ज्ञान था क्योकि सौदे की बात मौखिक रूप से काफी अरसे से चल रही थी जो वक्त के साथ मुकमल हुई जिसके उपरान्त बैयनामा प्रतिफल की राशि अदा कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपने पक्ष में तहरीर व तस्दीक कराया जिसे प्रार्थीगण/वादीगण किसी भी प्रकार से शून्य करार दिलाने के अधिकारी नही है क्योकि उक्त बैयनामें का प्रार्थीगण को बखूबी ज्ञान था व उनकी उक्त बैयनामें में सहमति थी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण/ वादीगण विवादित आराजी के किसी भी जुज पर काबिज काश्त नही है। अलबत्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। मौके पर सरसों कि फसल काश्त कर रखी है। प्रार्थीगण किस प्रकार कब से विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है सम्पूर्ण वादपत्र में कही भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नही किया है क्योकि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण किसी भी जुज पर काबिज काश्त नही है अपितु अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने युक्ति युक्त प्रतिफल अदा कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर बैयनामा अपने पक्ष में तहरीर व तस्दीक कराया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मौके पर कब्जा संभलवा दिया गया है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य नही किया है। समस्त कार्यवाही विधि अनुरूप अमल में लाई गई है। प्रार्थी/वादी सं0 1 यशपाल द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 276/13 थाना कोटकासिम से साफ तौर पर साबित होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र दीगर कारणों से प्रस्तुत किया गया है जिसमें रतिभर राई के बराबर भी सच्चाई नही है जब कब्जा दिनांक 17.09.2013 को अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने संयुक्त रूप से प्राप्त कर लिया था तो दिनांक 23.09.2013 को धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है व विवादित आराजी पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज है व विवादित आराजी पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तो प्रार्थीगण/वादीगण को बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। समस्त कहानी प्रार्थीगण की स्वंय की सोची समझी व मनघडन्त है जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 मौके पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तो प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के गैरवास्ता गैरकाबिज सख्स है। प्रार्थीगण/वादीगण किसी भी जुज के खातेदार काश्तकार घोषित होने के व राजस्व रिकोर्डस से कमलजन कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने दिनांक 23.09.2013 की समस्त कहानी मिथ्या व बनावटी दर्ज की है जिसमें रतिभर भी सच्चाई नही है। प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अजद की की हानि नही होती है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे। विवादित आराजीयात दादालाई आराजीयात नही है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 है।

अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 ने विवादित आराजीयात जरिये बैयना में लिखतम दिनांक 16.09.2013 पंजिबद्ध दिनांक 17.09.2013 को तेजराम पुत्र श्री बेगराज जाति चमार ग्राम गुणसार से बाजाप्ता बाकब्जा समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर खरीद की हुई है और वक्त खरीद ही बेगराज ने विवादित आराजीयात पर मिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 को कब्जा हल चलवाकर सौप दिया था। खरीद वक्त से ही मिन अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 संयुक्त रूप से विवादित आराजीयात पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। इंतकाल भी बैयनामा मुताबिक कब्जा मुताबिक राजस्व रिकोर्ड में सही दर्ज हुआ है जिस समस्त वाकयात की जानकारी प्रार्थीगण को बखूबी रही है। मिन अप्रार्थीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से व नाजायज रूप से रूपये ऐठने की गरज से यह झूंठा प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान में पेश किया है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वांन अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ओर कहा कि ख0न0 48, 49, 47, 50 वाके ग्राम कैरवा मे 1 बीघा जमीन वादीगण के दादा के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी और जिस भूमि में वादीगण का जन्म से अधिकार है। प्रार्थीगण के दादा बेगराज के फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 181 तनहा वादीगण के पिता तेजराम का नाम 1992 में दर्ज होगया था जबकि इस भूमि में वादीगण को 5/6 हिस्सा है व उसपर वादीगण का कब्जा काश्त है। तेजराम ने दीगर व्यक्तियों से मिलकर बिना प्रतिफल , बिना कब्जा दिये एक बैयनामा पंजिबद्ध करवादिया व दीगर व्यक्तियों ने तेजराम की हत्या कर दी जिसका मुकदमा थाना कोटकासिम में दर्ज है। मिन प्रार्थीगण को उक्त बैयनामा की आड़ में अप्रार्थीगण ने बेदखल करने का प्रयास किया। उक्त बैयनामे का इंतकाल दर्ज हो चुका है। सम्वत 2029 में बेगराज बल्द मंगलिया प्रार्थीगण का दादा के नाम दर्ज रिकोर्ड है। इंतकाल संख्या 181 विरासत तेजराम के नाम दर्ज हुई जबकि बेगराज की अन्य संतान भी थी। जिन्होने इंतकाल संख्या 181 की श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर के यहा अपील दायर की। जिस अपील का निर्णय दिनांक 21.11.2013 को हुआ। तेजराम को बेगराज की भूमि से 1/7 हिस्सा इंतकाल संख्या 181 को श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर ने खारिज कर दिया। अप्रार्थीगण का कोई कब्जा मौके पर नही है। दादालाई सम्पत्ति में हमारा जन्म से ही हक हिस्सा है। इस से हमारा प्रथम दृष्टया केस साबित होता है। प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया केस साबित होने पर सुविधा का संतुलन एवं नामपूर्ति होने वाली क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के हक में साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी की यथा स्थिति कायम रहनी चाहिए जिससे की अनावश्यक विवाद ना बडे। इस संबन्ध में आर.एल.डब्लू (1) 2005 पेज 449, आर.एल.डब्लू (2) 2005 पेज 2018, आर.एल.डब्लू (2) 2005 पेज 646, आर.आर.डी. 1965 पेज 120 की नजीर पेश की।

विद्वांन अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 व 2 का कथन है कि प्रार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया इनका केस साबित हो। जमाबन्दी में वादीगण का नाम दर्ज नही है। इंतकाल संख्या 181 सन् 1992 में दर्ज हुआ है और 1992 से 2013 तक प्रार्थीगण/वादीगण ने अपना नाम रिकोर्ड पर लेने के लिए कोई कार्यवाही नही की। मेरा बैयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है। रिकार्डेड खातेदार से भूमि क्रय की गई है। वादीगण ने अपना वाद शुद्धहस्त होकर पेश नही किया है यह मात्र 4 खसरा नम्बरो का वाद लाये है, जिसका कुल रकबा 8 बीघा के करीब है व इंतकाल संख्या 181 में तेजराम के नाम 51 बीघा भूमि दर्ज हुई है। प्रार्थीगण/वादीगण ने शेष 43 बीघा जमीन क्यो छोड दी जिसमें प्रार्थीगण की क्या स्थिति है। प्रार्थीगण का नाम आया है या नही। इस तथ्य को प्रार्थीगण ने छुपाया है। प्रार्थीगण के एफ.आई.आर. दर्ज करने से अपराध साबित नही होता। प्रतिवादी/अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई चार्ज शीट पेश नही की गई है। यदि वादी का कथन है कि चार्ज शीट पेश हुई तो वह चार्ज शीट की नकल पेश करे। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बोनाफाईड परचेजर है। प्रतिफल देखकर भूमि क्रय की है। अगर इनको बैयनामा चेलेन्ज करना था तो इन्हे सीवील न्यायालय जाना चाहिए था। रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । वादीगण को क्या व कैसे अपूरणीय क्षति होगी, वादीगण ने इसका कोई खुलासा नही किया। 1992 से तेजराम रिकॉर्डेड खातेदार चला आ रहा है व उस इन्द्राज से वादीगण को 20 वर्षो तक कोई असुविधा हुई ना कोई क्षति हुई। इस संबन्ध में आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 168, आर.आर.डी.–14/09/2018, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 347, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 692, की नजीर पेश की। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में प्राइमाफेसाई साबित नही कर सके। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण व न्यायिक दृष्टयान्त के प्रकरणो की परिस्थितिया भिन्न–भिन्न होने के कारण दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत उक्त दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नही होते है। वाद भूमि (ख0न0 50 वाके ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम) प्रार्थीगण के पिता तेजराम के नाम थी। तेजराम को वादभूमि (ख0न0 50 वाके ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम) विरास्तन प्राप्त हुई। जिस इंतकाल सं0 181 द्वारा वादभूमि (ख0न0 50 वाके ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम) तेजराम को प्राप्त हुई थी, उक्त इंतकाल को माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.11.2013 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। वादभूमि आज भी राजस्व रिकॉर्ड में तेजराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पति

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

में पुत्र व पौत्र का जन्म से अधिकार निहित होता है। इस प्रकार वादीगण प्रथम दृष्टया वादभूमि से सम्बन्ध रखते है। पैतृक सम्पति के सम्बन्ध में वारिसान को घोषणात्मक वाद लाने का अधिकार है। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है। सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर वादभूमि के अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रेता है, जबकि वादभूमि में प्रार्थीगण पैतृक सम्पत्ति के आधार पर हक हिस्सा होने का दावा कर रहे है। क्या पूरी भूमि पैतृक है या तेजराम की खुद पैदाकर्ता, तेजराम का पैतृक सम्पत्ति में कितना हक हिस्सा था, क्या वादीगण वादभूमि में विरासतन हक रखते है, क्या पंजीकृत बैयनामा वैध है या शून्य इत्यादि बिन्दु जो बहस में दोनो पक्षो द्वारा न्यायालय के समक्ष लाये गये है, उक्त बिन्दुओ का मूलवाद में तनकीयात, साक्ष्य, बहस के पश्चात गुणावगुण पर निर्णय किया जावेगा। मगर घोषणात्मक वाद में जहॉ प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला साबित है वहॉ वादभूमि के अन्तरण से प्रार्थीगण के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। वादभूमि के अन्तरण से प्रार्थीगण के हक हिस्सा प्रभावित होने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। वाद बहुलता व वाद क्लिष्टता बढ़ने की सम्भावना भी रहती है। इसलिए यह न्यायोचित प्रतीत होता है वादभूमि को सुरक्षित रखा जाए।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनो बिन्दु साबित करने में सफल रहे है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व दिनांक 30.09.2013 के आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजियात खसरा नम्बर 48/1–16, 49/2–19, 47/3–00, 50/1–10, मे से 1 बीघा वाके ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम जिला अलवर में मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति कायम रखे।

निर्णय आज दिनांक 14/5/19 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार कस्वा (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner